

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक: 387/स.सा.प्र.वि./2020
प्रति,

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 07/09/2020

1. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर,
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
3. समस्त कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
4. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
5. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
6. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
7. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा

विषय:- नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु बैठकों का आयोजन केवल अत्यावश्यक कारणों से करने बाबत सुझाव।

--00--

प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि शासकीय संस्थान एवं संस्थाओं में सामान्य रूप से बैठकों का आयोजन न किया जाये। यदि अत्यावश्यक कारणों से तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में बैठक का आयोजन किया जाना हो तो विकल्प के रूप में वर्चुअल मीटिंग अथवा विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से बैठक का आयोजन किया जाये।

2/ वर्तमान में किसी प्रकार के भीड़-भाड़ अथवा जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन करने से बचा जाये।

3/ शासकीय संस्थान एवं संस्थाओं में सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाईजेशन तथा कोरोना संबंधी अन्य सावधानियों का पालन करने हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रेरित किया जाये।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक: 387-A /स.सा.प्र.वि./2020

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 07/09/2020

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग